प्राथमिकता / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0 प्र0,
कम्प्यूटर सेल, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः1332/ 1–18–2021 / क0सेल / 14 / 2016 दिनांक 27, सितम्बर, 2021

विषयः जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति व निवास प्रमाण–पत्रों के आवेदन पत्रों के प्रिन्टिंग इत्यादि में हो रहे खर्च की प्रतिपूर्ति लेखपालों को संबंधित जनपद की डी0ई0जी0एस0 के बढे हुए अंश में से प्रति आवेदन आवश्यकतानुसार रू0 5/– का भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक शासनादेश संख्या–1140 / एक–9–2021–111(ले0 स0) / 2014टी0सी0–5 दिनांक 19.08.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें सी0ई0जी द्वारा प्रश्नगत भुगतान आन लाईन किये जाने हेतु वांछित सॉफटवेयर का विकास पूर्ण नहीं हो पाने के दृष्टिगत जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति व निवास प्रमाण–पत्रों के आवेदन पत्रों के प्रिन्टिंग इत्यादि में हो रहे खर्च की प्रतिपूर्ति लेखपालों को संबंधित जनपद के डी0ई0जी0एस0 सोसाईटी के बढ़े हुए अंश में से रू0 5/– प्रति आवेदन दिनांक 01.09.2019 से जनपदों में सॉफ्टवेयर का कार्य पूर्ण होने की अवधि तक के लिए भुगतान आफलाईन के माध्यम से सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

2– सूच्य है कि शासनादेश संख्या–1763 / एक–9–2019–111(ले0स0) / 2014टी0सी0–5 दिनांक 13 सितम्बर, 2019 में जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति एवं निवास प्रमाण–पत्रों के आवेदन पत्रों के प्रिंटिग इत्यादि में हो रहे खर्च की प्रतिपूर्ति लेखपालों को संबंधित जनपद के डी0ई0जी0एस0 सोसाईटी के अंश में से 05 रूपये प्रति आवदेन लेखपालों को भुगतान दिनांक 5.2.2019 से 31.8.2019 तक आफलाईन के माध्यम से नियमानुसार किये जाने तथा संबंधित लेखपालों द्वारा उक्त अवधि में किये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन शीघ्र सुनिश्चित कराते हुए डी0ई0जी0एस0 सोसाईटी को सूचना / समस्त विवरण उपलब्ध कराने तथा शासनादेश संख्या–1703 / एक–9–2019–111(ले0स0) / 2014टी0सी0–5 दिनांक 03.09.2019 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 01.09.2019 से आगे का प्रस्ताव में उक्त शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार यथा आवश्यक प्रस्ताव आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–1140 / एक–9–2021–111(ले0स0) / 2014टी0सी0–5 दिनांक 19.08.2021 (प्रतिलिपि संलग्न) में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार झा)
विशेष कार्याधिकारी
कृते आयुक्त एवं सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित–

1– अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग–9 को शासनादेश संख्या–1140 / एक–9–2021–111(ले0स0) / 2014टी0सी0–5 दिनांक 19.08.2021 के क्रम में।

(सुनील कुमार झा)
विशेष कार्याधिकारी
कृते आयुक्त एवं सचिव

ई–मेल द्वारा

संख्या–1140/एक–9–2021–111(ले0स0)/2014टी0सी0–5

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग–9 **लखनऊ : दिनांकः।9 अगस्त, 2021**

विषयः जन सेवा केन्दों द्वारा ई–डिलिवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों के प्रिन्टिंग इत्यादि में हो रहे खर्च की प्रतिपूर्ति लेखपालों को संबंधित जनपद की डी0ई0जी0ए0 सोसाइटी के बढे हुये अंश से प्रति आवेदन आवश्यकतानुसार रू0 05 किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र सं0–1763/एक–9–2019–111(ले0स0)/2014टी0सी0–5, दिनांक 13.09.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये थे कि जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई–डिलीवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों के प्रिंटिंग इत्यादि में हो रहे खर्च की प्रतिपूर्ति लेखपालों को सम्बन्धित जनपद के डी0ई0जी0एस0 सोसाईटी के अंश में से रूपये 05 प्रति आवेदन लेखपालों को भुगतान **दिनांक 05.02.2019 से दिनांक 31.08.2019 तक ऑफलाइन** के माध्यम से किया जाय।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि दिनांक 01.09.2019 से लेखपालों का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से नही किया गया है, जिसके सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0–853/एक–9–2021–111(ले0स0)/2014टी0सी0–5, दिनांक 18.06.2021 एवं दिनांक 08.07.2021 द्वारा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 से यह स्थिति स्पष्ट करायी गयी कि ई–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत साफ्टवेयर में संशोधन सम्बन्धी कार्य पूर्ण हो चुका है अथवा नही, की सूचना से अवगत करायें, ताकि दिनांक 01.09.2019 से अब तक का ऑफलाइन/ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान किये जाने सम्बन्धी शासनादेश निर्गत किया जा सके।

3– प्रश्नगत प्रकरण में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग–2 के पत्र सं0–1184/78–2–21/53 आई0टी0–2012 दिनांक 29.07.2021 द्वारा राज्य समन्वयक, सी0ई0जी0 के पत्र सं0–सी0ई0जी0/मु0म0/03/14/II/115/2021, दिनांक 08.07.2021 द्वारा विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी जिसमें मुख्यतः उल्लेख किया गया है कि ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उपलब्ध डैशबोर्ड में जनपद स्तर पर उप जिलाधिकारी को लॉगित उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सम्बन्धित अधिकारी को तहसील स्तर पर लेखपालों द्वारा आय, जाति एवं निवास सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों के आवेदनों के सापेक्ष की गयी कार्यवाही का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध है। उक्त विवरण अनुसार सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा लेखपालों द्वारा आवेदनों के सापेक्ष की गयी कार्यवाही अनुसार अपनी सत्यापित रिपोर्ट सम्बन्धित डी0ई0जी0एस0 को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सापेक्ष सम्बन्धित डी0ई0जी0एस0 द्वारा प्रति आवेदन आवश्यकतानुसार रू0 05.00 का वितरण सम्बन्धित लेखपालों को किया जाता है।

4– उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ई0–डिस्ट्रिक्ट योजना के अन्तर्गत लेखपालों को की जाने वाली प्रतिपूर्ति धनराशि उपलब्ध कराने हेतु साफ्टवेयर विकसित किये जाने का कार्य अभी तक पूर्ण नही हो पाया है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जन सेवा केन्द्रों द्वारा

ई–डिलीवरी के माध्यम से बनने वाले आय, जाति व निवास प्रमाण पत्रों के आवेदन पत्रों के प्रिंटिंग इत्यादि में हो रहे खर्च की प्रतिपूर्ति लेखपालों को सम्बन्धित जनपद के डी0ई0जी0एस0 सोसाईटी के बढ़े हुए अंश में से रूपये 05 प्रति आवेदन लेखपालों को **दिनांक 01.09.2019 से जनपदो में साफ्टवेयर का कार्य पूर्ण होने की अवधि तक के लिए** भुगतान ऑफलाइन के माध्यम से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

19.8.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– 1140(1)/एक–9–2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
2– आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स, अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(महेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

GO AND UO